प्रेस नोट

दिनांक 31.10.2025

नये आपराधिक कानूनों के प्रति जागरूकता अभियान 2.0 के अन्तर्गत थाना मुस्करा पुलिस द्वारा आयोजित कार्यक्रम का विवरण।

अवगत कराना है कि शासन एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशनानुसार नये आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिनांक 30.10.2025 से 01.11.2025 तक तीन दिवसीय "NCL जागरूकता अभियान 2.0" संचालित किया जा रहा है। उक्त अभियान के क्रम में थाना मुस्करा पुलिस द्वारा आज दिनांक 31.10.2025 को थाना क्षेत्र अन्तर्गत श्री गोविन्द विद्यालय इंटर कॉलेज, गहरौली में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं स्थानीय नागरिकों को नये आपराधिक कानूनों के प्रमुख प्राविधानों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस अधिकारियों द्वारा यह बताया गया कि नये कानूनों के माध्यम से आम नागरिकों को शीघ्र न्याय, पारदर्शिता एवं तकनीकी रूप से सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रभारी निरीक्षक मुस्करा द्वारा उपस्थित जनसमूह व छात्र-छात्राओं को जीरो एफआईआर की अवधारणा से अवगत कराते हुए बताया गया कि अब कोई भी व्यक्ति किसी भी थाना क्षेत्र में जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, जिससे पीड़ित को त्वरित न्याय की दिशा में सहायता मिलेगी। साथ ही ई-एफआईआर प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन रिपोर्टिंग की सुविधा के बारे में जानकारी दी गयी, जिससे जनता को पुलिस सेवाओं तक आसान पहुँच मिल सके।

कार्यक्रम में समयबद्ध न्याय की अवधारणा पर विशेष चर्चा की गयी और यह बताया गया कि नये प्राविधानों के अनुसार जांच, चार्जशीट एवं ट्रायल की समय सीमा निश्चित की गयी है, जिससे न्याय प्रक्रिया तेज़ एवं पारदर्शी होगी। महिला एवं बाल संरक्षण से सम्बन्धित नये प्राविधानों, जैसे—महिलाओं के प्रति अपराध में कड़े दंड, पीड़िता के बयान की गोपनीयता तथा बच्चों से जुड़े मामलों में संवेदनशील प्रक्रिया की जानकारी भी दी गयी।

इसके अतिरिक्त छात्रों को प्रौद्योगिकी एवं फोरेंसिक के उपयोग से संबंधित प्रावधानों के बारे में बताया गया, जिनसे अपराधों की वैज्ञानिक जांच और साक्ष्यों के संरक्षण में सुधार होगा। इस अवसर पर उपस्थित विद्यार्थियों से संवादात्मक प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

विद्यालय परिसर में "नये आपराधिक कानून नया न्याय, नई सोच" शीर्षक वाला जागरूकता बैनर प्रदर्शित किया गया तथा कार्यक्रम की डिजिटल प्रस्तुति भी दिखाई गई। समापन अवसर पर प्रभारी निरीक्षक द्वारा सभी को नये आपराधिक कानूनों के पालन एवं समाज में कानून के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने का संकल्प दिलाया गया।

कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकगण, छात्र-छात्राएं, स्थानीय नागरिक एवं पुलिस कर्मी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को नये आपराधिक कानूनों की जानकारी देना, उनमें कानूनी जागरूकता बढ़ाना एवं कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास सुदृढ़ करना रहा। यह जागरूकता अभियान जनसहभागिता के माध्यम से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।